रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122022-240865
CG-DL-E-07122022-240865

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944
No. 300] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022/AGRAHAANA 16, 1944

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच समाप्ति अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

मामला संख्याः एडी (एसएसआर) 07/2022

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''सेरामिक रोलर्स'' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की समाप्ति ।

क. प्रस्तावना

फा. सं. 07/18/2022-डीजीटीआर 1.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए फ्युचूरा सेरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेरामिक रोलर्स" जिसे यहां आगे ("विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाता है तो उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृति होने की संभावना है । इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवतरूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

3. तद्नुसार, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अध्याय 69 के तहत वर्गीकृत ''सेरामिक रोलर्स'' के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की गई थी ।

ख. पृष्ठभूमि

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/47/2016-डीजीएडी दिनांक 26 मार्च, 2018 के माध्यम से चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जांच की थी और पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । तत्पश्चात केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं. 27/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 17 मई, 2018 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया था । यह शुल्क 16 मई, 2023 को समाप्त होना निर्धारित है ।

ग. प्रक्रिया

5. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के बाद जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों के अनुसार भेजी थी और उनसे ए डी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था ।

6. प्राधिकारी ने 10 नवंबर, 2022 तक प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए पहली बार समय बढ़ाया और आगे उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 20 नवंबर, 2022 तक समय बढ़ाया गया, जिसे डी जी टी आर की वैबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था ।

7. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई थी ।

8. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था । उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी ।

9. जांच शुरूआत अधिसूचना और सूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और कानूनी अनुरोध प्रस्तुत करके प्राधिकारी को उत्तर दिया था ।

घ. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

10. दिनांक 14 नवंबर, 2022 के ई-मेल के माध्यम से आवेदक ने सूचित किया कि कंपनी के समक्ष आने वाली कतिपय कठिनाइयों के कारण कंपनी निर्णायक समीक्षा जांच पर आगे कार्रवाई नहीं चाहती है ।

11. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 1 दिसंबर, 2022 को घरेलू उद्योग को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया था । तथापि, आवेदक ने दिनांक 29 नवंबर, 2022 के ई-मेल द्वारा सूचित किया कि वह यह बताते हुए बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं कि, *''कंपनी ने इस बात पर विचार करते हुए उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है कि उसे चीन से पाटन का समाधान करने के लिए पर्याप्त संरक्षण मिलने की संभावना नहीं है । अत: कंपनी प्रस्तावित बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होगी ।''*

ड. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. घरेलू उद्योग, फ्युचुरा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 14 नवंबर, 2022 और 29 नवंबर, 2022 के ई-मेल के माध्यम से किए गए अनुरोध की जांच की गई है ।

13. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग के रूप में फ्युचुरा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी । आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है ।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का नियम 14(क) निम्नानुसार उल्लेख करता है :

''14. जांच की समाप्ति – निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि- (क) उन्हें पीड़ित घरेलू उद्योग जिसके अनुरोध पर जांच की शुरूआत की गई थी, से या उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होता है ।''

15. यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 14 कतिपय स्थितियों में जांच की समाप्ति का प्रावधान करता है जिनमें ऐसी स्थिति शामिल है, जहां कंपनी द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है । नियमावली का नियम 14(क) में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच तत्काल समाप्त कर देंगे यदि उन्हें उस पीड़ित घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होता है ।

च. निष्कर्ष

16. घरेलू उद्योग, फ्युचुरा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध के मद्देनजर और नियमावली के नियम 14(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी सूचना सं. 7/18/2022-डी जी टी आर द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2022 को शुरू की गई जांच को एतद्द्वारा समाप्त करते हैं ।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2022

Case No. AD (SSR) 07/2022

Subject: Termination of sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of "Ceramic Rollers" originating in or exported from China PR.

A. Introduction

F. No. 07/18/2022-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), thereof, Futura Ceramics Private Limited (hereinafter also referred to as the "applicant") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") for sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of "Ceramic Rollers" (hereinafter referred to as the "product under consideration" or the "PUC") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. The Authority accordingly issued a public notice dated 30th September 2022 published in the Gazette of India-Extraordinary, initiating the sunset review investigation concerning imports of "Ceramic Rollers", classified under chapter 69 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from China PR.

B. Background

4. The Designated Authority conducted investigation and recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from China PR, vide final finding Notification No. 14/47/2016 -DGAD dated 26th March 2018. The Central Government thereafter vide Notification No. 27/2018-Cus (ADD), dated 17th May 2018 imposed anti-dumping duties. The duties are set to expire on 16th May 2023.

C. Procedure

5. The Authority post-initiation sent copies of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/ exporters from the subject country, known importers/ users and the domestic industry as per the e-mail addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification as per Rule 6(2) of the Rules.

6. The Authority, granted first extension, to file questionnaire response by 10th November 2022 and further extension to file the response by 20th November 2022, which was placed in the public domain through DGTR's website.

7. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

8. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/ producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/ exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject country.

9. In response to the initiation notification and intimation, exporters/ producers from the subject country and importers/ users responded to the Authority by filing the questionnaire response and filing legal submissions.

D. **Request received from the domestic industry**

10. The applicant, vide email dated 14th November 2022 informed that the company does not want to proceed further with the sunset review application due to certain hardships faced by the company.

11. The Designated Authority gave an opportunity to the domestic industry for personal hearing on 1st December, 2022. However, the applicant vide email dated 29th November 2022 informed that he is not able to attend the meeting stating that, *"The company has decided to close down production, considering that it is unlikely to get protection adequate enough to address the Chinese dumping. The company would therefore not be able to attend the proposed meeting."*

E. **Examination by the Authority**

12. The request made by the domestic industry, Futura Ceramics Private Limited, vide its e-mail dated 14th November 2022 and 29th November 2022, has been examined.

13. The present investigation was initiated based on an application filed by Futura Ceramics Private Limited constituting the domestic industry. The applicant is the sole producer of the subject goods in India.

14. The Authority notes that Rule 14 (a) of the Rules reads as under:

"14. Termination of investigation. – The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if - (a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;"

15. It is noted that Rule 14 of Anti-Dumping Rules, 1995 provides for termination of investigations in certain situations which includes a situation where the application is withdrawn by affected domestic industry. Rule 14(a) of the Rules provides that the Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.

F. **Conclusion**

16. In view of the aforesaid request made by the domestic industry, the Authority hereby terminates the investigation initiated vide notification no. 7/18/2022- DGTR dated 30th September, 2022 against the imports of "Ceramic Rollers" originating in or exported from China PR in terms of Rule 14(a) of the Rules.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.07 22:34:03 +05'30'